विविध **बैंक प्रकरण संख्या 19/2020(GCMS : 2020/00065) पंजाब नेशनल बैंक शाखा नई कृषि मंडी, श्रीगंगानगर** जरिये श्री जसबीर सिंह मीलु, प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालय, मीरा चौक, श्रीगंगानगर (राज.) **बनाम 1. मैसर्स लूंगा ईंट उद्योग** जरिये प्रो. सुनील कुमार पुत्र हरी सिंह चक 5 सी बडी, पटवार हल्का सुजावलपुर ग्राम पंचायत, हिंदुमलकोट, तहसील व जिला श्रीगंगानगर **2.** अनिल कुमार पुत्र हरी सिंह निवासी मकान नं. 10 चक 6 ई छोटी गली नं 02, गणपती नगर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.08.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री भारत भूषण महेन्द्रा, अधिवक्ता उपस्थित हुए और एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी बैंक की ओर से अप्रार्थी मैसर्स लूंगा ईंट उद्योग एवं अनिल कुमार द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में अप्रार्थी सुनील कुमार की अचल सम्पत्ति परिवर्तित (पत्र क्रमांक 2013/227 दिनांक 29.10.2013 के आधार पर) व्यावसायिक भूमि एवं भवन खाता नं. 13/13, मुरब्बा नं. 63, किल्ला नं. 1 (0.253), 2(0.253), 3(0.253), 8(0.228), 9(0.253) व 10(0.253) चक 5–सी बडी, (क्षेत्रफल 14930 वर्गमीटर) पटवार हल्का–सुजावलपुर, ग्राम पंचायत हिंदुमलकोट, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) द्वारा बंधक रखी गई संपत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.02.2020 को प्रस्तुत किया हुआ है और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक अप्रार्थीगण ऋणियों के विरूद्ध किसी प्रकार से आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है अतः नॉट प्रैस करता है, और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही ड्रॉप करदी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:11:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 10.02.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, श्रीगंगानगर के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण मैसर्स लूंगा ईंट उद्योग एवं अनिल कुमार के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुनील कुमार द्वारा बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति परिवर्तित (पत्र क्रमांक 2013/227 दिनांक 29.10.2013 के आधार पर) व्यावसायिक भूमि एवं भवन खाता नं. 13/13, मुरब्बा नं. 63, किल्ला नं. 1 (0. 253), 2(0.253), 3(0.253), 8(0.228), 9(0.253) व 10(0.253) चक 5—सी बडी, (क्षेत्रफल 14930 वर्गमीटर) पटवार हल्का—सुजावलपुर, ग्राम पंचायत हिंदुमलकोट, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाही नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का पत्र प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, श्रीगंगानगर द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 10.02.2020 को खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible].2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:11:42 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर